



## पंचदश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-15.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री अरूण शंकर प्रसाद, सं०वि०सं० श्री विनोद प्रसाद यादव, सं०वि०सं० श्री राम नरेश यादव, सं०वि०सं० श्री संजय सिंह "टाइगर", सं०वि०सं० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, सं०वि०सं० श्री ललन राम, सं०वि०सं० श्री राजेश्वर राज, सं०वि०सं० श्री जनक सिंह, सं०वि०सं० श्री परमानन्द ऋषिदेव, सं०वि०सं० श्री रामानन्द राम, सं०वि०सं० श्री श्याम बिहारी राम, सं०वि०सं० श्री कुमार शैलेन्द्र, सं०वि०सं० श्री सत्यदेव सिंह, सं०वि०सं० श्री दिनकर राम, सं०वि०सं० श्री रण विजय कुमार, सं०वि०सं०
- "राज्य के महत्वपूर्ण पोलिटेकनिक संस्थानों में से राजकीय विज्ञान पोलिटेकनिक, गया का अपना एक खास स्थान है, लेकिन विगत तीन वर्षों से यहां की शैक्षणिक वातावरण, अनुशासनिक गतिविधि एवं प्रावैधिकी परीक्षा परिणाम में निरन्तर हास होने से छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है । इस संस्थान के प्राचार्य पक्षाघात से अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण स्वयं कॉलेज एवं कार्यालय का कार्य नहीं कर पा रहे हैं तथा इनके बदले इनके परिवार के अन्य सदस्य इस महत्वपूर्ण संस्थान का कार्य करते हैं । विगत तीन वर्षों से एक भी विभागीय बैठक अथवा संस्थान की बैठक में प्राचार्य स्वयं सम्मिलित नहीं हुए हैं और न ही वर्ग कक्ष का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है जिससे वहां शैक्षणिक अव्यवस्था एवं वित्तीय अनियमितता का माहौल कायम है ।
- अतएव राजकीय पोलिटेकनिक, गया की बदहाल स्थिति के कारण वहां सक्षम एवं कुशल प्राचार्य को पदस्थापित करने तथा विगत तीन वर्षों में प्राचार्य द्वारा तथाकथित निष्पादित प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों की जांच कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"

1	2	3	4
2.	<p>श्री शिवेश कुमार, संवि०स०</p> <p>श्री मंजीत कुमार सिंह, संवि०स०</p> <p>श्रीमती वीणा देवी, संवि०स०</p> <p>श्रीमती नीता चौधरी, संवि०स०</p> <p>श्री आलोक रंजन, संवि०स०</p> <p>डॉ० अरूण कुमार, संवि०स०</p> <p>श्री अशोक कुमार सिंह, संवि०स०</p> <p>श्री अशोक कुमार, संवि०स०</p> <p>श्री राजु कुमार सिंह, संवि०स०</p>	<p>"भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण का दायित्व केन्द्र एवं राज्य दोनों का है। उनकी विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं उनके कल्याण एवं पुनर्वास संबंधी कार्यों को राज्य सरकार को करने का दायित्व है। इसी के तहत उनको मेधावी छात्र की छात्रवृत्ति योजना, पुस्तक देने की योजना, छात्रावास अनुदान योजना, वैवाहिक अनुदान योजना, मकान बनाने की योजना, आर्थिक सहायता, बैंक ऋण पर सब्सिडी की सुविधा, स्वनियोजन योजना, चिकित्सा सुविधा एवं अनुग्रह अनुदान योजना का लाभ दिया जाना है।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ वर्ग के पद में प्राथमिकता देने, भूमि आवंटन करने, औद्योगिक भूखण्ड देने, शिक्षा संबंधी रियायत देने, बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा दस प्रतिशत फ्लैट, मकान एवं जमीन में आरक्षण की सुविधा आदि देने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग द्वारा उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई है, जबकि वे प्रशिक्षित भी हैं।</p> <p>अतएव सैनिक के विधवाओं जो बी.एड. की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तथा एम.ए. की योग्यता धारण करते हैं, उन्हें प्लस-टू स्कूल में शिक्षक के पद पर नियुक्त कर शहरी क्षेत्र में पदस्थापित करने तथा शहरी क्षेत्र में आवास/मकान उपलब्ध कराने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"</p>	<p>गृह विभाग/ शिक्षा विभाग</p>

फूल झा

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/13- 272 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2013 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकामुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / गृह विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
14/3/13  
(राजकुमार रजक)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/13- 272 / वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2013 ई०।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

  
14/3/13  
(राजकुमार रजक)

उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना।

